



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 170

10 चैत्र, 1929 शकाब्द
राँची, शनिवार 31 मार्च, 2007

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

31 मार्च, 2007

एस०ओ० 69, दिनांक 31 मार्च, 2007--झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा-23 (झारखण्ड अधिनियम 21, 2006 द्वारा यथा संशोधित) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची II Part-B में संशोधन करते हैं:--

संशोधन

1. उक्त अनुसूची के क्रम संख्या 28, 54, 102 एवं 109 के साथ अंकित शर्त "दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से करदेय" के स्थान पर "दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से करदेय" प्रतिस्थापित किया जाता है ।
2. उक्त अनुसूची के क्रम संख्या 114 के चतुर्थ स्तम्भ में "दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के प्रभाव से करदेय" शर्त जोड़ी जाती है ।
3. उक्त अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगी ।

[बिक्री कर/वैट/4/2006/797]

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
जे० के० दास,
अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

झारखण्ड गजट (असाधारण) 170-300+500--शनि मुण्डा ।